जनपद गाज़ियाबाद प्रेस नोट दिनांक17.07.2022

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त मय दो चोरी की मो0साईकिल व एक अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.07.2022 को अर्थाह थापर सोसायटी कट वैशाली से 01 नफर अभियुक्तः- **मनोज उर्फ काके पुत्र प्रेम सिंह निवासी हाल किराएदार शिव पार्किंग के पास निकट डबल टंकी चमन कॉलोनी नन्द ग्राम थाना नंद ग्राम जनपद गाजियाबाद मूल पता- ग्राम याकूपुर धतूरी थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 30 वर्ष** को 02 अदद मो0 साईकिल(जिनमें एक मो0साईकिल होण्डा साईन जो कि दिल्ली से व एक मो0साईकिल सुजुकी जिक्सर रंग नीला कोतवाली गा0बाद) से चोरी की गयी है व एक अदद चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करके बेचकर अवैध धन अर्जित करना ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

मनोज उर्फ काके पुत्र प्रेम सिंह निवासी हाल किराएदार शिव पार्किंग के पास निकट डबल टंकी चमन कॉलोनी नन्द ग्राम थाना नंद ग्राम जनपद गाजियाबाद व मूल पता ग्राम याकूपुर धतूरी थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी -

अभियुक्तगण के कब्जे से दो चोरी मो0साईकिल व एक अदद चाकू बरामद होना।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 386/2022 धारा 411/414/482 भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद।
2. मु0अ0सं0 387/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद।
3. मु0अ0सं0 369/2022 धारा 411/414/482/420बी भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद।
4. मु0अ0सं0 717/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
5. मु0अ0सं0 017567/22 धारा 379 भादवि थाना एन्टी थैफ्ट सैल दिल्ली।

व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार अत्री
3. उ0नि0 श्री अमिताभ सिंह
4. हे0का0 1171 अमित कुमार
5. हे0का0 1078 तारा सिंह
6. का0 2578 पवन कुमार
7. हे0का0 रामओतार सिंह

क्राइम ब्रांच जनपद गाजियाबाद द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 750 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 01 करोड 20 लाख रु0) व तस्करी मे प्रयुक्त 01 कार बरामद ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी. द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्तो के विरुद्व चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में जनपद गाजियाबाद क्राइम ब्रान्च द्वारा दिनांकः 17.07.2022 को हिन्डन एयरफोर्स चौकी के सामने, थाना साहिबाबाद क्षेत्र में जनपद बरेली से एक्सयूबी कार में तस्करी कर लाई जा रही 750 ग्राम स्मैक(हेरोइन) जिसकी कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये है, को बरामद करने व तस्करी करने वाले 03 अन्तर्राज्जीय तस्करों तैय्यब खान, शहजाद खान व सैफ को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

पूछताछ का विवरण :–

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि साहब हम लोग जनपद बरेली से स्मैक(हेरोइन) व अन्य नशीले पदार्थ लेकर दिल्ली व एनसीआर क्षेत्रों में आते हैं। हम लोग अक्सर गाड़ियां बदल–बदलकर इन नशीले पदार्थों की डिमाण्ड के अनुसार सप्लाई करते हैं। जब हम लोग वहां से चलते हैं तो अपने सभी फोन बन्द कर लेते हैं और ना ही किसी से सम्पर्क करते हैं और न ही कहीं रूकते हैं, जब तक कि माल की तयशुदा जगह पर डिलीवरी न पहुंचा दें। हम लोगों का एक संगठित गिरोह है जो एनसीआर, उ0प्र0, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पजांब, राजस्थान, दिल्ली में इसकी सप्लाई करते हैं। आज हम लोग यह माल एक्सयूबी कार में छिपाकर गाजियाबाद लेकर आये थे, हमको इसकी डिलीवरी गाजियाबाद में करनी थी कि तभी आप लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ पर सैफ ने बताया कि मेरे दो सगे भाई मौहम्मद आतिफ व मौहम्मद सोबी, जो काफी समय से इस कार्य में लिप्त हैं, वे भी हमारे साथ दूसरी गाड़ी लेकर आये थे, परन्तु जब आप लोगों ने हमें पकड़ा तो वे दोनों मौका देखकर भाग गये हैं। यह नशीले पदार्थों का सारा सप्लाई का कार्य मेरे भाई आतिफ की देखरेख में चल रहा है, वही हमारे गैंग का लीडर है। वही हमें बताता है कि माल कब, किसे, कहां और किस गाड़ी से पहुंचाना है। पूछताछ पर तीनों ने यह भी बताया कि हम लोग काफी समय से यह काम कर रहे हैं, इस धन्धे में कम समय में ज्यादा फायदा होता है, हम लोग अपने शौक व घर के खर्चे इसी से पूरे करते हैं।

अभियुक्तों से पूछताछ पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से ही इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस–पास के क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :–

1. तैयब खां पुत्र अयूब खां निवासी चौकी बैरियर नंबर दो पीरबोढ़्ढा थाना इज्जत नगर बरेली
2. शहजाद खान पुत्र वैदयार खान निवासी कब्रिस्तान के पास बिहार कला थाना इज्जत नगर बरेली
3. सैफ पुत्र फैयाजुद्दीन निवासी ग्राम मजनू पुर थाना भमोरा जिला बरेली

फरार अभियुक्तगण :–

1. मौ0 आतिफ पुत्र फैयाजुद्दीन निवासी ग्राम मजनू पुर थाना भमोरा जिला बरेली
2. मौ0 सौबी पुत्र फैयाजुद्दीन निवासी ग्राम मजनू पुर थाना भमोरा जिला बरेली

बरामदगी का विवरण :–

1. 750 ग्राम नशीला पाउडर स्मैक कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये
2. 01 एक्सयूबी कार नम्बर– UP14CH4466

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :–

1. निरीक्षक श्री अब्दुर रहमान सिद्दीकी प्रभारी क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ला क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
3. उ0नि0 श्री अरूण वर्मा क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
4. हे0कां0 1367 संदीप मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
5. हे0कां0 748 सचिन मलिक क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
6. हे0कां0 1495 अनुज कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
7. हे0कां0 1564 आशुतोष कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद
8. कां0 2003 सचिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

कां0 1550 नितिन कुमार क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार , कब्जे से 01 फोन , 02 आधार कार्ड, 03 पैन कार्ड एवं 18 एटीएम कार्ड बरामद ।

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः 17/7/2022 समय 00.30 बजे दीनबंधु स्कूल की तरफ जाने वाली मोड़ पर शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त गण मय एक अदद फर्जी आधार कार्ड, दो अदद पैन कार्ड एवं एक एटीएम कार्ड एवं चेतन अरोड़ा से बरामद 9 अदद एटीएम कार्ड अलग-अलग बैंकों के तथा एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी रंग ऑरेंज कलर तथा अभियुक्त चंदन से 8 अदद एटीएम कार्ड अलग-अलग बैंकों के एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम तीनो लोग गिरोह बनाकर श्री श्याम इण्टरप्राइजेज शाप न0 सी 1 अटल चौक नन्द ग्राम गाजियाबाद से 27.6.22 को फर्जी दस्तावेज से फाइनेंस कराकर विकास चौधरी एवं चेतन अरोडा के साथ मिलकर कुछ पैसे देकर फाइनेंस करा लिये थे और इस मोबाइल को आज हम लोग शहीद नगर लेकर आ रहे थे और इसे सस्ते दामो मे किसी को बेचने था कि आप लोगो ने पकड लिया और फर्जी कूटरचित दस्तावेज होने के कारण बाकी फाइनेंस के रुपये हम लोग जमा नही करते थे और मोबाइल बेचकर लाभ अर्जित करते है। तथा विकास चौधरी अपने पैन कार्ड व आईडी से फाइनेंस कराकर मोबाइल ले लेते है तथा मैं फर्जी पैन कार्ड व आईडी तैयार करता है। तथा चेतन अरोडा द्वारा जीओ स्टोर से फर्जी लोन कराकर मोबाइल कम दामो मे खरीदकर अधिक पैसे का फाइनेंस कराकर हम लोग पैसा जमा नही करते है और आर्थिक लाभ कमाते है। । जिसके सबंध मे थाना साहिबाबद पर मु0अ0स0 1114/22 धारा 420/467/468/474/34 भादवि पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.विकास चौधरी पुत्र कुंवर पाल सिंह निवासी सी 961 योगेश चौधरी वाली गली सहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

2.चंदन कुमार पुत्र गुलाबचंद निवासी जे 259 पुरानी सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली हाल पता C 266 ए शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

3. चेतन अरोडा पुत्र महेन्द्र पाल अरोडा उम्र 34 वर्ष नि0 1/10253 गली न0 1 वेस्ट गोरव पार्क थाना बेलकम दिल्ली

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 1114/22 धारा 420/467/468/474/34 भादवि बनाम विकास चौधरी, चंदन कुमार, चेतन अरोडा

मु0अ0स0 973/22 धारा 323/324/504/506 भादवि बनाम विकास चौधरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 श्री रवि शंकर पाण्डेय

है0का01224 मलखान सिंह

कांस्टेबल 280 मनजीत सिंह

का0 3186 मनीष बालियान

है0का0 68 राजकुमार

बरामदगी का विवरण

1.एक अदद फर्जी आधार कार्ड, दो अदद पैन कार्ड एवं एक एटीएम कार्ड अभियुक्त विकास चौधरी से

2. 9 अदद एटीएम कार्ड अलग-अलग बैंकों के तथा एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो कंपनी रंग ऑरेंज कलर अभियुक्त चेतन अरोड़ा

3. 8 अदद एटीएम कार्ड अलग-अलग बैंकों के एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड अभियुक्त चंदन

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमंन्चा 315 बोर नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एंव श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांकः 16/7/2022 समय 19.40 बजे बन्द पडे पेट्रोल पम्प अर्थला लाजपत नगर कट की ओर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभियुक्त कपिल त्यागी पुत्र किरन त्यागी नि0 पीसी स्कूल के पास डी ब्लाक आश्रम रोड थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष मय एक अदद तमंन्चा 315 बोर नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीकाः-

अभियुक्त उपरोक्त से एक अदद तमंन्चा 315 बोर नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस प्राप्त हुआ है। जिसके सबंध मे थाना साहिबाबद पर मु0अ0स0 1112/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम कपिल त्यागी उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

कपिल त्यागी पुत्र किरन त्यागी नि0 पीसी स्कूल के पास डी ब्लाक आश्रम रोड थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
मु0अ0स0 1112/22 धारा 3/25 A.Act
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
उ0नि0 श्री विपिन कुमार
उ0नि0 सुमित कुमार
का0 1800 प्रभात सिरोही
बरामदगी का विवरण
1.एक अदद तमंन्चा 315 बोर नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस

पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व थाना टीलामोड़ की संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा हत्या सहित लूट का सफल अनावरण करते हुऐ लूटे गये सामान सहित चार अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक टीला मोड के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा लूटे गये सामान में से एक मगंल सूत्र, हाथ के कंगन,कान का एक कुण्डल(पीली धातू) व तगडी ,लक्ष्मी के दो सिक्के, दो कटोरी , एक गिलास, एक चम्मच, एक बिछुआ घुंघरू वाला (सफेद धातू , 5600 रूप नगद व घटना में प्रयुक्त तीन अदद मोबाइल व एक मो0स0 अपाचे सहित चार नफर अभि0गण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

दिनांक   15/07/2022 को वादी श्री पंकज शर्मा पुत्र जसवन्त शर्मा नि0 म0न0 660 मेन रोड पसौडा थाना टीला मोड अपने घर में चोरी होना व अपने पिता की हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 340/22 धारा 394/302 भा.द.वि. दर्ज कराया था शक उसने अपनी भाभी श्रीमती कविता पत्नी स्व पवन शर्मा को बाईस्तबा अभियुक्ता दर्ज कराया था। दिनांक 16/07/202 को प्रभारी निरीक्षक मय टीम सहित मुखबिर की सूचना पर कोयल एनक्लेव के पास से कविता उपरोक्त व घटना को अंजाम देने वाले अन्य 03 साथी अभियुक्त गण इरशाद, नौशाद व साजिद को गिरफ्तार किया गया था तथा घटना में सम्मलित 01 अभियुक्त परवेज भागने में सफल रहा। बाईस्तबा अभियुक्ता मृतक की पुत्र वधु कविता ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उसकी मुलाकात टैक्सी चलाने वाले परवेज से हुई थी परवेज के जेल चले जाने के बाद परवेज के मोबाइल से इरशाद की मुलाकात भी कविता से हुई एवं इरशाद एवं कविता का अनेको स्थान पर मिलना जुलना प्रारम्भ हुआ इसी दौरान कविता के द्वारा अपने ससुर जसवन्त की शिकायत इरशाद व परवेज से की गयी कि मेरा ससुर मेरे पति की मृत्यु के उपरान्त खर्चा नही देता है और ना ही प्रोपर्टी में हिस्सा दे रहा है और मुझ पर आप लोगो से मिलने का शक करता है क्यो ना इसे रास्ते से हटा दिया जाये ईद का त्यौहार आने के कारण इरशाद ने कुछ पैसे की डिमान्ड खर्चे के लिये कविता से की थी तो कविता ने बताया कि मेरे पास पैसा नही है मेरे देवर कुछ दिन बाद राजस्थान बाबा मोहनराम के मन्दिर अपने बेटे का मुन्डन कराने जा रहा है उस दिन आप लोग घर आ जाना मै घर के मैने गेट का ताला खोल दूँगी और दोनो ही काम हो जायेगे आप लोग मेरे देवर के मकान से चोरी कर लेना और मेरे ससुर को रास्ते से हटा देना इसी योजना के तहत घटना वाले दिन रात्री 11.00 बजे चारो लोग घर पर कविता के द्वारा अपने मोबाइल के माध्यम से बुलवाये गये और कविता द्वारा मैन गेट का ताला खोलकर घर में घुसाया व अलमारी का ताला तोडते समय आवाज होने से जसवन्त द्वारा टोकने पर सभी ने एक राय होकर उसी के बैड पर हाथ पैर बाँधकर पीट पीट कर हत्या कर दी और सारा सामान लूटकर योजना के मुताबिक कविता को उसके बैड पर हाथ बाँधकर चले गये थे। घटना का अनावरण प्राप्त मो0न0 सीसीटीवी फुटेज के मिलान के आधार पर पाया कि बाईस्तबा अभियुक्ता के पास एक गोपनीय नम्बर था, नम्बर प्राप्त कर उसके नम्बर से अभि0गण के नाम प्रकाश में आने पर सख्ती से पूछताछ करने पर कविता ने अपनी गलती स्वीकार करते हुऐ अपने सह अभियुक्तो के नाम पता बताते हुऐ बताया कि आज कोयल एन्कलेव में मेरे सह अभि0 लूटे गये सामान का बटवारा करने के लिये आ रहे है कि पुलिस की टीम द्वारा घेरा बन्दी करके कोयल एन्कलेव के ग्राउन्ड में सुबह 6.30 बजे चारो को गिरफ्तार कर लूटा हुआ सामान बरामद किया गया। एवं अभियोग के घटना क्रम के आधार पर अभियोग में धारा 394/302 भा.द.वि. को विलुप्त करते हुऐ अभियोग में धारा 457/396/120बी/34/412 भा.द.वि. की बढोत्तरी करते हुऐ गिरफ्तार कर अभि0गण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-
1.कविता पत्नी स्व पवन शर्मा नि0 म0का0 660 मैन रोड पसौंडा थाना टीलामोड़ गा0बाद
2.इरशाद पुत्र मौ0 साबिर नि0 गली न0 12 शौकत कालोनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ
3.मौ0 नौशाद पुत्र इरशाद नि0 125 तारापुरी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ
4.साजिद पुत्र सफक गल न0 8 खुशहालनगर बिलाल मस्जिद के पास थाना लिसाडी गेट मेरठ
फरार अभियुक्तः-
परवेज सैफी पुत्र शकील अहमद नि0 वार्ड न0 6 अमीननगर सराय जनपद बागपत
आपराधिक इतिहास- परवेज
1- मु0अ0सं0 340/22 धारा 457/396/120बी/34/412 भा.द.वि थाना टीलामोड गाजियाबाद

2- मु0अ0सं0 170/16 धारा 392/411 भा.द.वि. थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

3- मु0अ0सं0 171/16 धारा 307 भा.द.वि. व 7 क्रि0ला ए. एक्ट थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

4- मु0अ0सं0 173/16 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

5- मु0अ0सं0 215/16 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

1- एक मगंल सूत्र, हाथ के कंगन,कान का एख कुण्डल(पीली धातू) व कगडी ,लक्ष्मी के दो सिक्के, दो कटोरी , एक गलास, एख चम्मच, एक बिछुआ गूंगरू वाला (सफेद धातू) , 5600 रूप नगद)

2- घटना में प्रयुक्त तीन अदद मोबाइल(1. विवो कंग नीला जिसमें दो सिम हे जिनका न0 8375840931 ,7017347631 (2)मोबाईल ओप्पो सिम न0 7417529298 (3) मोबाईल फोन सिम न0 9690008435)

3- एक मो0सा0 अपाचे रजि0न0 यूपी 15 बी जब्लू 7903

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0स0 340/22 धारा 394/302 थाना टीलामोड़ गा0बाद

अभि0 के अन्य आपराधिक इतिहास को ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1) प्रभारी निरीक्षक श्री भुवनेश कुमार थाना टीला मोड गाजियाबाद
2) उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना टीला मोड गाजियाबाद
3) उ0नि0 श्री करतार सिंह थाना टीलामोड गाजियाबाद
4) है0का0 335 प्रमोद शर्मा थाना टीला मोड गाजियाबाद
5) है0का0 1578 आशीष प्रताप थाना टीलामोड गाजियाबाद
6) का0 1447 आशु पुण्डीर थाना टीला मोड गाजियाबाद
7) का0 3125 रविन्द्र कुमार थाना टीलामोड़ गाजियाबाद
8) म0का0 1238 लता थाना टीलामोड़ गाजियाबाद
9) का0 667 मृदुल किशोर थाना टीला मोड गाजियाबाद
10) है0का0 989 राजेन्द्र सिंह (एसपी सिटी द्वितीय महोदय की टीम)
11) है0का0 767 संजय सिंह (एसपी सिटी द्वितीय महोदय की टीम)
12) है0का0 1369 अनुज मलिक(एसपी सिटी द्वितीय महोदय की टीम)
13) का0 3100 संजीव गुप्ता (एसपी सिटी द्वितीय महोदय की टीम)
14) का0 3141 ललित जादौन (एसपी सिटी द्वितीय महोदय की टीम)

थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की ईको कार के साथ किया गिरफ्तार-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में ,श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एंव प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड पुलिस द्वारा दिनांक 17.7.22 को एक अभियुक्त को एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मो0सा0 सहित गिरफ्तार किया गया ।

दिनाँक 17.07.22 को समय 01.40 बजे गस्त व चैकिंग के दौरान सिकन्दरपुर कट के पास दिल्ली रोड से एक अभियुक्त 1. अरुण कुमार पुत्र सुरेश कुमार नि0 डी-1/544 गली नं0 13 अशोक नगर पूर्वोत्तर दिल्ली को गिरफ्तार किया , अभियुक्त के कब्जे से एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की ईको कार जिसका सही रजिस्ट्रेशन नं0 DL1CW6349 सम्बन्धित एफआईआर नं0-019644 दि0-15/07/2022 धारा 379 भादवि थाना ज्योतिनगर दिल्ली बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 345/22 धारा 414/482 भादवि बनाम अरुण कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अरुण कुमार पुत्र सुरेश कुमार नि0 डी-1/544 गली नं0 13 अशोक नगर पूर्वोत्तर दिल्ली

अभियुक्तो से बरामदगी –

1. एक अदद फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की ईको कार जिस पर फर्जी नं0 UP14GH1748

आपराधिक इतिहास –

(1) मु0अ0स0 345/22 धारा 414/482 भादवि बनाम अरुण कुमार उपरोक्त थाना टीला मोड गा0बाद

(2) मु0अ0सं0 019644/22 धारा 379 भादवि थाना ज्योतिनगर दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0श्री प्रबल प्रताप सिहँ थाना टीला मोड
2. का0 2527 सोमेन्द्र थाना टीला मोड
3. का0 377 हशमत अली थाना टीला मोड

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल स्पलेन्डर रजि0नं0 HR 26 DX -7295 बरामद

दिनांक 17.07.2022

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -17.07.2022 को दौराने चैकिंग समय 09.50 बजे घोडा गेट चोकी पुस्ता से दो नफर अभि0गण 1. शहनवाज राघड पुत्र लियाकत राघड निवासी ग्राम सिखेडा थाना पिलखवा जिला हापुड उ0प्र0 हाल पता पूजा कालोनी नियर दीपक स्कूल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 2.साहिल पुत्र शमीम शेख निवासी किरायेदार अरमान S/0 युसूफ निवासी पूजा कालोनी नियर नूरी मस्जिद थाना टोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रजि0 नं0 HR 26 DX -7295 स्पेलण्डर चैसिस नं0 MBLHAW092KHP63600 इंजन नं0 HA10AGKHBA5671 बरामद होना

नाम पता अभियुक्त

शहनवाज राघड पुत्र लियाकत राघड निवासी ग्राम सिखेडा थाना पिलखवा जिला हापुड उ0प्र0 हाल पता पूजा कालोनी नियर दीपक स्कूल थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-378/22 धारा 379/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी
2.मु0अ0सं0 724/21 धारा 379/411/34 भादवि

नाम पता अभियुक्त

साहिल पुत्र शमीम शेख निवासी किरायेदार अरमान S/0 युसूफ निवासी पूजा कालोनी नियर नूरी मस्जिद थाना टोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-378/22 धारा 379/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
2.मु0अ0सं0 742/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
3.मु0अ0सं0 274/18 धारा 380/411 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
4.मु0अ0सं0 278/18 धारा 380/411 भादवि थाना ट्रोनिक सिटी गाजियाबाद

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यूपी/एनसीआर क्षेत्र से मोटर साइकिल चोरी कर सस्ते दामों बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री उमेश चन्द नैथानी
2.है0का0 144 चन्द्रपाल

बरामदगी का विवरण-

1. मोटरसाइकिल स्पलेन्डर रजि0 नं0 HR 26 DX -7295 स्पेलण्डर चैसिस नं0 MBLHAW092KHP63600 इंजन नं0 HA10AGKHBA5671 बरामद होना

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 120 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद होना

दिनांक 17.07.2022

कार्यवाहीः- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, महोदय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द पाठक की टीम द्वारा दिनांक -16.07.2022 को दौराने चैकिंग समय 21.10 बजे विजय विहार कट चौकी विजय विहार से एक अभि0 1.शमशाद उर्फ शेखू पुत्र अजीज निवासी आदर्श विहार कासिम विहार नियर मदीना मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष जिसके कब्जे से 120 ग्राम नाजायज नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद होना।

नाम पता अभियुक्त

शमशाद उर्फ शेखू पुत्र अजीज निवासी आदर्श विहार कासिम विहार नियर मदीना मस्जिद थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 32वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1.मु0अ0सं0-380/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना ट्रोनिका सिटी

<u>अपराध करने का तरीका-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं दिल्ली से सस्ते दामों में अल्प्राजोलम खरीदकर यूपी/एनसीआर क्षेत्र में सस्ते दामों बेचकर अपने शौक पूरे करता हूँ।

<u>गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः</u>-

1.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार

2.का0 1887 अमित कुमार

3.का0 2729 विपिन कुमार

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1. 120 ग्राम नाजायज अल्प्राजोलम पाउडर बरामद।

<u>थाना लोनी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 25 हजार का इनामी गैगेस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक 16.7.22 को चेकिंग के दौरान थाना लोनी पुलिस ने मोटरसाईकिल सवार एक बदमाश को चैकिंग के दौरान रोका गया तो बदमाश बंथला चिरोडी मार्ग की तरफ तेज गति से मोटरसाईकिल पीछे मोडकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा,जिस पर थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपने साहस का परिचय देते बदमाश की घेराबन्दी की गयी । बदमाश के द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा ,पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम **युनुस उर्फ गंगा पुत्र युसुफ निवासी विरिम्मल्ला मस्जिद के पास मुस्तफाबाद लोनी** ***गाजियाबाद बताया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।***

- ***<u>नोट- अभियुक्त थाना लोनी थाना शास्त्री पार्क दिल्ली व अन्य थानो मे गैगेस्टर लूट चोरी सहित घटनाओं में वांछित चल रहा हैं</u>***

<u>अभियुक्त का नाम व पता</u>

1- **अभि0 युनुस उर्फ गंगा पुत्र युसुफ निवासी विरिम्मल्ला मस्जिद के पास मुस्तफाबाद लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष**

अपराधिक इतिहास अभियुक्त --------------

1 . मु0 अ0 स0 .2466/18 धारा 376घ /506 भादवि थाना लोनी गा0बाद

2 .मु० अ० स० 360/18 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना लोनी गा0बाद

3 मु० अ० स० 716/21धारा 392/394/397/34 भादवि शास्त्री पार्क दिल्ली

4 मु० अ० स० 1158/21धारा 392/397/34 भादवि कोतवाली दिल्ली

5 मु० अ० स० 1099/21धारा 379/411 भादवि लोनी बॉर्डर गा0बाद

6 मु० अ० स० 1558/21धारा 394 भादवि थाना लोनी गा0बाद

7 मु० अ० स० 1782/21धारा 394 भादवि लोनी गा0बाद

8 मु० अ० स० 14/22 धारा 392/397/34 भादवि 25/54/59 आर्म्स एक्ट कोतवाली दिल्ली

9 मु० अ० स० 37/22 धारा452/504/506 भादवि लोनी गा0बाद

10 मु० अ० स० 39/22 धारा 411/414 भादवि लोनी गा0बाद

11 मु० अ० स० 40/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट लोनी गा0बाद

12 मु० अ० स० 760/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम

1.निरीक्षक अजय चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना लोनी

2-उ0नि0 नरेन्द्र कुमार चोकी इंचार्ज कस्बा लोनी

3- उ0नि0 अमित प्रताप सिंह चोकी इंचार्ज लोनी तिराहा लोनी

4- उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय चोकी इंचार्ज रुपनगर लोनी

5-है0का0 766 दीपक कुमार थाना लोनी गा0बाद

6- का0 2902 विजय कुमार राठी थाना लोनी

7-हे0का0 526 सचिन कुमार थाना लोनी

8- टीम एसओजी देहात गा0बाद

बरामदगी का विवरण

1- एक अदद मोटरसाइकिल चोरी की

2- 01 तमंचा 315 बोर

3- 02 कारतूस- (01 खोखा 02 जिंदा)